[2019] 8 एस. सी. आर 1153

1. भारत का संघ

2. संयुक्त सचिव (कोफेपोसा), सरकार। भारत का वित्त मंत्रालय

वी.

डिम्पल हैप्पी धाकड़

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1064)

18 जुलाई, 2019

[आर. भानुमति और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और इसकी रोकथाम

तस्करी गतिविधि अधिनियम, 1974 - धारा 3-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962। 135 , 108 – अपीलकर्ता-भारत संघ का मामला कि उत्तरदाताओं ने 3300 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सोने की भारी मात्रा में तस्करी की। संयुक्त अरब अमीरात से भारत तक-उत्तरदाताओं को दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था सीमा शुल्क अधिनियम के s.135 निरोध के आदेश उत्तरदाताओं के खिलाफ 17.05.2019 पर पारित किए गए थे सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. की धारा 3-उत्तरदाताओं को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए थे-18.05.2019 पर हिरासत में लिए गए, हालांकि, 21.05.2019 पर हिरासत में लिए गए लोगों को दस्तावेजों का संकलन दिया गया था।

और 22.05.2019-उच्च न्यायालय ने निरोध आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि दस्तावेजों पर भरोसा करने वालों को निरोध आदेशों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं दिया गया था और दिशानिर्देश No.21 (डीओ का भाग ए) और दिशानिर्देश संख्या 9 (क्या न करें का भाग बी) का उल्लंघन किया गया था।

कोफेपोसा मामले "-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. की धारा 3 (3) निरोध के आधारों को पूरा करने और असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को दर्ज करने के लिए पांच दिनों की वैधानिक अवधि निर्धारित करती है जो निरोध की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद दर्ज नहीं की जानी चाहिए-तत्काल मामले में, निरोध आदेश और निरोध के आधार को 18.05.2019 पर बंदियों पर लागू किया गया था-उन पर निर्भर दस्तावेजों को 20.05.2019 और 20.05.2019 के बीच प्रदान किया गया था।

22.05.2019 अर्थात् निरोध आदेश देने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर यानी 18.05.2019-इसलिए, वैधानिक आवश्यकता का पालन किया गया-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरोध आदेशों को रद्द करने में गलती की कि दस्तावेजों और सामग्रियों की आपूर्ति निरोध आदेशों के साथ नहीं की गई थी-अब तक, "कोफेपोसा मामलों पर निर्देशों के संकलन पर हैंड बुक" का संबंध है,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त दिशानिर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया गया था-इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि दिशानिर्देश जैसे कोई भी कार्यकारी निर्देश किसी भी क़ानून के प्रावधानों को कम नहीं कर सकते हैं या कानून के किसी भी प्रावधान को कम नहीं कर सकते हैं-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय हिरासत के आदेशों को रद्द कर देता है।

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और इसकी रोकथाम

तस्करी गतिविधि अधिनियम, 1974 - एस. 3-अपीलकर्ता-भारत संघ ने आरोप लगाया कि उत्तरदाताओं ने यू. ए. ई. से भारत में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की-निरोध प्राधिकरण-संयुक्त सचिव (सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए.) ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उत्तरदाताओं में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की उच्च प्रवृत्ति थी, दिनांक 17.05.2019 को निरोध का आदेश पारित किया। यू / सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम की धारा 3-उच्च न्यायालय ने निरोध आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निरोध प्राधिकारी को हिरासत के आधारों को इस संतोष के साथ दर्ज करना होगा कि हिरासत से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई की आसन्न संभावना है और रिहाई के बाद, ऐसे व्यक्ति के पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहने की संभावना है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः दिनांकित 17.05.2019 निरोध आदेश ने निरोध प्राधिकारी के बारे में जागरूकता दर्ज कीः ((i)

कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति हिरासत में है; (ii) कि हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा दायर जमानत याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था-केवल इसलिए कि हिरासत के आदेशों में, हिरासत प्राधिकरण ने विशेष रूप से यह दर्ज नहीं किया है कि 'हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिहा होने की संभावना है', 'हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने की संभावना है' और 'यदि ऐसा जारी किया जाता है, तो वह उसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना है', यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत प्राधिकरण ने अपना दिमाग नहीं लगाया-हिरासत प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की पृष्ठभूमि दर्ज की थी-वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हिरासत प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है, सामग्री पर आधारित थी -

सोना और आभूषण दुकानों के माध्यम से विदेशी मूल के तस्करी किए गए सोने का निपटान-उच्च न्यायालय ने हिरासत के आदेशों को केवल इस आधार पर रद्द करने में गलती की कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था कि हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत पर रिहा किए जाने की वास्तविक संभावना थी।

टिकाऊ।

भारत संघ की अपीलों को स्वीकार करते हुए और बंदियों की अपीलों को खारिज करते हुए, भारत और ए. एन. आर. का न्यायालय संघ।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़

पकड़नाः 1. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 (3)

बंदी बनाए जाते हैं। "जितनी जल्दी हो सके" शब्द के अनुसार, कानून सामान्य परिस्थितियों में पांच दिनों को हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत के आधार से अवगत कराने के लिए एक उचित समय मानता है। वहाँ कोई नहीं है निरोध के आदेश की सेवा के उसी दिन आश्रित दस्तावेजों को देने के लिए निरोध प्राधिकारी की ओर से वैधानिक दायित्व। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) में निर्धारित समय और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में उपयोग की जाने वाली भाषा "... जल्द से जल्द अवसर" को ध्यान में रखते हुए, गैर-सेवारत।

निरोध आदेश को रद्द करने का आधार। [पैरा 19] [1169-सी-ई] 2. वर्तमान मामले में, निरोध के आदेश और निरोध के आधार 18.05.2019 पर बंदियों को दिए गए थे। द.

उन पर निर्भर दस्तावेजों को उनके बीच प्रस्तुत किया गया था

20.05.2019 और 22.05.2019 अर्थात निरोध आदेश की तामील की तारीख से पाँच दिनों के भीतर अर्थात 18.05.2019। जैसा कि पहले बताया गया है, कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) में हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए पांच दिनों की वैधानिक अवधि का प्रावधान है। यह बताया गया कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था वे 2364 पृष्ठों में चल रहे थे और विभिन्न बंदियों के खिलाफ पंद्रह निरोध आदेश पारित किए गए थे और इसलिए, दस्तावेजों का संकलन 21.05.2019 पर बंदियों को दिया गया था। जैसा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल द्वारा सही तर्क दिया गया है, भारी मात्रा में दस्तावेजों की प्रतियां तैयार करना एक समय था

प्रक्रिया में खर्च होता है और बंदियों पर दस्तावेजों के संकलन की सेवा करने में समय लगता है और इसलिए, आदेश होंगे

अवैध नहीं है। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) पाँच दिनों के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आदेश देती है। मान लीजिए, प्रतियां उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हैं। वैधानिक आवश्यकता

इसलिए इसका पालन किया गया है। [पैरा 21] [1170-सी-एफ] [2019] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. वर्तमान मामले में, हिरासत में लिए गए लोगों को पांच दिनों के भीतर हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था 18.05.2019 से-निरोध आदेश की तारीख यानी 21.05.2019 और 22.05.2019 पर। पारि पासु शब्द को कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) के वैधानिक प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो

इसका अर्थ यह होगा कि निरोध के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा पांच दिनों के भीतर किया जाता है और स्पष्टीकरण के साथ पंद्रह दिनों के भीतर कारणों को दर्ज किया जाता है। जब इस तरह के नियम को दूषित किया जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया था एक साथ। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरोध के आदेशों को रद्द करने में गलती की कि निरोध के आदेशों के अनुसार दस्तावेजों और सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी। [पैरा 24] [1171-सी-ई]

निरोध आदेश का संचार/सेवा "और इसके आधार निरोध और दस्तावेजों पर निर्भर रहना, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन निरोध आदेश की तारीख से पांच दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। उक्त दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया था

के साथ। इसके अलावा, यह एक सर्वसम्मत सिद्धांत है कि दिशानिर्देशों जैसे कोई भी कार्यकारी निर्देश किसी भी क़ानून के प्रावधानों को कम नहीं कर सकते हैं या कानून के किसी भी प्रावधान को कम नहीं कर सकते हैं। [पैरा 26] [1171-जी-एच; 1172-ए]

5. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हिरासत का आदेश हिरासत में किसी व्यक्ति के खिलाफ वैध रूप से पारित किया जा सकता है और उस उद्देश्य के लिए, यह है -

यह आवश्यक है कि हिरासत के आधारों से यह पता चले कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत था कि बंदी था

पहले से ही हिरासत में। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को और संतुष्ट होना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत से रिहा किए जाने की संभावना है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों की प्रकृति से संकेत मिलता है कि यदि उसे रिहा किया जाता है, तो वह इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना रखता है और इसलिए, उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है। [पैरा 30] [1173-सी]

6. सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में, वर्तमान में

मामला, क्या हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के मन में जागरूकता थी कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति हिरासत में है और उसके पास भारत और ए. एन. आर. के संघ पर विश्वास करने का कारण था।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़

कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है और यदि ऐसा किया जाता है, तो वह पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहेगा। वर्तमान मामले में, दिनांकित 17.05.2019 निरोध आदेश निरोध प्राधिकारी की जागरूकता को दर्ज करते हैं: - (i) कि बंदी हिरासत में है; (ii) कि बंदियों द्वारा दायर जमानत याचिका को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। बेशक, हिरासत के आदेशों में, हिरासत प्राधिकरण ने विशेष रूप से दर्ज नहीं किया है कि "हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा किए जाने की संभावना है"। यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने केवल इस आधार पर अपना दिमाग नहीं लगाया है कि हिरासत के आदेशों में, "हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने की संभावना" के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है और "यदि ऐसा किया जाता है, तो वह उसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना है"। लेकिन हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की पृष्ठभूमि और इस बात की संतुष्टि दर्ज की है कि हिरासत में लिए गए लोगों में भविष्य में इस तरह के अपराध करने की उच्च प्रवृत्ति है। [पैरा 35] [1175-डी-जी]

7. हिरासत में लिए गए प्राधिकारी का यह संतोष कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अप्रत्यक्ष बयान नहीं हो सकता है।

प्राधिकरण। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, निरोधक प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि

दूसरों के साथ समन्वय में सिंडिकेट और आदतन राजस्व हानि और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की परवाह किए बिना ऐसा ही करते हैं। इसी तरह, दूसरे बंदी के निरोध आदेश में सोने को प्राप्त करने और अपनी कई आभूषण दुकानों और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से तस्करी किए गए विदेशी मूल के सोने के निपटान में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका को संदर्भित किया गया है। उच्च न्यायालय ने केवल आधार पर निरोध आदेशों को रद्द करने में गलती की कि निरोध प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष को दर्ज नहीं किया है कि बंदियों को जमानत पर रिहा किए जाने की वास्तविक संभावना थी जो कमरुन्निसा और अन्य निर्णयों और दिशानिर्देशों में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन आधारों पर हिरासत के आदेशों को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 37] [1176-बी-ई]

सोफिया गुलाम मोहम्मद। भाम वी। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1999) 6 एस. सी. सी. 593 [1999] 1 पूरक।

421 ; इच्छू देवी चोरारिया बनाम। भारत संघ और अन्य (1980) 4 एससीसी 531: [1981] 1 एस. सी. आर. 640; मेहदी

मोहम्मद जौदी बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(1981) 2 एस. सी. सी. 358; जसबीर सिंह बनाम। उपराज्यपाल, दिल्ली

और दूसरा (1999) 4 एस. सी. सी. 228: [1999] 2 एससीआर 706;

सेंथमिलसेल्वी बनाम। स्टेट ऑफ टी. एन. एंड अदर (2006) 5

एस. सी. सी. 676 [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 24; नरेश कुमार

गोयल बनाम. भारत संघ और अन्य (2005) 8 एससीसी

276 [2005] 4 पूरक। एससीआर 17; महाराष्ट्र राज्य

और अन्य वी। भाऊराव पंजाबराव गवांडे (2008) 3 एससीसी 613: [2008] 3 एस. सी. आर. 967-पर निर्भर।

विरेन्द्र सिंह बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1981) 4 एससीसी

562 ; एना कैरेलिना डिसूज़ा (श्रीमती) बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1620-लागू नहीं किए गए।

कमरुन्निसा बनाम। भारत संघ (1991) 1 एस. सी. सी 128:

[1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 457; रेखा बनाम. तमिलनाडु राज्य

सरकार के सचिव और एक अन्य के माध्यम से (2011)

5 एससीसी 244: [2011] 4 एससीआर 740; कमलेश कुमार

ईश्वरदास पटेल बनाम। भारत संघ और अन्य (1995) 4

एससीसी 51: [1995] 3 एस. सी. आर. 279; विजय कुमार बनाम संघ का

भारत और अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 57; कमरुन्निसा बनाम।

भारत संघ और एक अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 128: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 457; भारत संघ बनाम। पॉल मानिकम

और दूसरा (2003) 8 एस. सी. सी. 342: [2003] 4 पूरक। एससीआर

618 ; हुइड्रोम कोनुंगजाओ सिंह बनाम। मणिपुर राज्य

और अन्य (2012) 7 एस. सी. सी. 181: [2012] 5 एससीआर 1173; धर्मेंद्र सुगनचंद चेलावत बनाम। भारत संघ

(1990) 1 एस. सी. सी. 746 [1990] 1 एस. सी. आर. 303; वीरमणि बनाम। टी. एन. राज्य (1994) 2 एस. सी. सी. 337: [1994] 1 एससीआर 616

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 1 पूरक। एससीआर 457

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[2011] 4 एससीआर 740

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

(1981) 4 एस. सी. सी. 562

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 16

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 16

आकाशवाणी 1981 एससी 1620

[1995] 3 एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पैरा 16 भारत संघ और ए. एन. आर. वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़

[1999] 1 पूरक। एससीआर 421

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[1981] 1 एससीआर 640

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

उस पर भरोसा करें

[1999] 2 एससीआर 706

पै

रा 20

(1981) 2 एस. सी. सी. 358

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

(1988) 2 एससीसी 57

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[1990] 1 पूरक। एससीआर 457

पै

रा 31

संदर्भित किया गया है

[2003] 4 पूरक। एससीआर 618

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2012] 5 एससीआर 1173

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[1990] 1 एससीआर 303

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1994] 1 एससीआर 616

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

[2006] 3 पूरक। एससीआर 24

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[2005] 4 पूरक। एससीआर 17

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[2008] 3 एससीआर 967

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 1064।

उच्च न्यायालय के 25.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 2844 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1066 , 1067 , 1065 2019 से।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, विक्रम चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सुश्री बीनू टम्टा, रजत नायर, शरत नाम्बियार, सुश्री अरुणा पाई, कानू अग्रवाल, राजीव रंजन, शांतनु शर्मा, बी. कृष्ण प्रसाद, सौरभ कृपाल, संजय अग्रवाल, आशीष बत्रा, वट्टन शर्मा, सार्थक सचदेव, हर्षित सेठी, गौतम अवस्थी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें दिनांकित 25.06.2019 पारित निर्णय से उत्पन्न होती हैं।

डब्ल्यू. पी. में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा (सीआरएल।) 2019 का Nos.2843 और 2844 और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने बंदियों के खिलाफ पारित 17.05.2019 के निरोध आदेशों को रद्द कर दिया है। एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपीलों में भारतीय अपीलार्थी संघ। [2019] 8 एस. सी. आर. का Nos.5459 और 5460।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2019 निरोध आदेशों को रद्द करने वाले विवादित फैसले को चुनौती दी है। निरोध आदेशों को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने एक सप्ताह की अवधि के लिए अपने स्वयं के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी है ताकि अपीलार्थी सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकें। रोक से व्यथित होने के कारण, बंदियों-उत्तरदाताओं ने एसएलपी (सीआरएल) से उत्पन्न होने वाली अपीलों को प्राथमिकता दी है। इस न्यायालय के समक्ष 2019 का Nos.5396 और 5408। सभी अपीलों का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जाएगा।

3. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि

व्यक्तियों के एक सिंडिकेट द्वारा विदेशी मूल के सोने की तस्करी के मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय के कार्यालय द्वारा जांच संयुक्त अरब अमीरात से भारत तक। 28.03.2019 पर दो वाहनों यानी एक होंडा एक्टिवा स्कूटर और एक होंडा सिटी कार की तलाशी और अवरोधन किया गया। यह देखा गया कि दो व्यक्ति अब्दुल अहद ज़रोदरवाला और शेख अब्दुल अहद, ज़रोदरवाला के कर्मचारी थे। वाहनों की तलाशी के परिणामस्वरूप पांच गोलाकार डिस्क के रूप में 75 किलोग्राम सोना बरामद किया गया।

रु. 24. 5 करोड़। संबंधित व्यक्तियों के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में लगातार तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप 110 किलोग्राम सोना और रुपये की मुद्रा बरामद हुई। 1. 81 करोड़। शोएब जारोदरवाला, अब्दुल अहद जारोदरवाला और शेख अब्दुल अहद को तलब किया गया और उनके बयान दर्ज किए गए और उन पर कथित तौर पर तस्करी करके सोना प्राप्त करने के संबंध में बयान दिए गए।

प्रतिवादी बंदी-निसार पल्लाथुकादविल अलियार।

4. एसएलपी (सी. आर. एल.) में तथ्य 2018 का सं. 5408: अपीलार्थियों का मामला यह है कि प्रतिवादी-नजरबंद निसार पल्लाथुकादविल अलियार पूर्णकालिक है।

बड़ी मात्रा में सोने का संगठित तस्कर और इसका मास्टरमाइंड है

तस्करी सिंडिकेट और 2016 से भारत में सोने की तस्करी कर रहा है। यह कहा गया है कि दो कंपनियाँ, अर्थात। एम/एस। अल रामज़ मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग और मेसर्स। नील सागर धातु एफ. जेड. ई. को अपीलार्थी द्वारा कल्पेश नंदा के नाम पर भारत को धातु स्क्रैप निर्यात करने के लिए पंजीकृत किया गया था, जिस पर सोने की तस्करी के लिए कार्गो को कवर करने का आरोप है। आरोप है कि हिरासत में लिए गए निसार अलियार ने यह सुनिश्चित किया कि तस्करी किए गए सोने की बिक्री से प्राप्त आय को हवाला के माध्यम से दुबई ले जाया जाए। यह आरोप लगाया जाता है कि निसार अलियार ने हर स्तर पर संचालन की देखभाल के लिए लोगों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया और 2016 से भारत में सोने की तस्करी कर रहा था

और उस पर 3300 किलोग्राम से अधिक सोने की तस्करी करने का आरोप है जिसका अनुमानित मूल्य Rs.1000 करोड़ है और उस पर तस्करी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। बंदी निसार अलियार को गिरफ्तार किया गया था

31.03.2019 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और उनका बयान दर्ज किया गया था।

5. एसएलपी (सी. आर. एल.) में तथ्य 2019 का सं. 5396: देतेनु-हैप्पी अरविंदकुमार धाकड़ बुलियन ट्रेडिंग फर्म के निदेशक हैं और

जौहरी। अपीलार्थियों के अनुसार, जांच से पता चला कि पति

बंदी हैप्पी धाकड़ को निसार अलियार से सोना खरीदकर सीधे शोएब ज़रोदरवाला और जिग्नेश सोलंकी से निपटा दिया गया जो उसके रिश्तेदार हैं। डिटेनु हैप्पी धाकड़ पर आरोप है कि उसने निसार अलियार को तस्करी का सोना प्राप्त करने और छिपाने की अवैध गतिविधियों में उकसाया था।

अपीलार्थी निसार अलियार द्वारा 11.5 किलोग्राम विदेशी चिह्नित सोना अन्य स्रोतों से खरीदा गया था। डिटेनु हैप्पी धाकड़ को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 29.03.2019 पर गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 6. हिरासत प्राधिकरण-संयुक्त सचिव (सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए.) ने यह संतुष्ट होने पर कि हिरासत में लिए गए लोगों में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की उच्च प्रवृत्ति है, उन्हें भविष्य में तस्करी और तस्करी किए गए सोने को छिपाने से रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा और विनिमय संरक्षण की धारा 3 के तहत दिनांक 1 को हिरासत में लेने के आदेश पारित किए।

तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा)। निरोध के आदेश और निरोध के आधार दिए गए थे 18.05.2019 पर नजरबंदियाँ। आश्रित दस्तावेजों की प्रतियां 21.05.2019 और 22.05.2019 पर बंदियों को दी गई थीं।

7. 17.05.2019 दिनांकित निरोध आदेशों पर बंदियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करके हमला किया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.06.2019 के अंतरिम आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को रिट याचिकाओं पर नजरबंदियों के प्रतिनिधित्व के रूप में विचार करने का निर्देश दिया। तदनुसार, प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया और इसे संयुक्त [2019] 8 एस. सी. आर. द्वारा खारिज कर दिया गया।

सचिव (सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए.) जिन्हें निरोध आदेशों के संशोधन में कोई औचित्य नहीं मिला।

8. दिनांक 25.06.2019 के विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए निरोध आदेशों को रद्द कर दिया कि निरोध आदेश पारित करने में निरोध प्राधिकरण द्वारा कोई समझदारी नहीं बरती गई थी। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कमरुन्निसा बनाम में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार। भारत संघ (1991) 1 एस. सी. सी. 128, हिरासत में लिए गए प्राधिकारी की संतुष्टि का संकेत देने वाला कोई विचार नहीं था कि हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत पर रिहा किए जाने की निकट संभावना थी। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि हालांकि निरोध के आदेश और निरोध के आधार को 18.05.2019 पर बंदियों को दिया गया था, लेकिन निरोध के आदेश और निरोध के आधार के साथ दस्तावेजों और सामग्री विवरणों की प्रतियों के साथ बंदियों को नहीं दिया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन किया गया था और दिशानिर्देश No.21 का उल्लंघन किया गया था।

कोफेपोसा मायने रखता है "। उच्च न्यायालय ने विभाग के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि दस्तावेजों की प्रतियों और अधिकांश अभिलेखों की तैयारी उत्तरदाताओं को निरोध के आदेश के साथ-साथ भरोसेमंद दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं बनाती है। यह मानते हुए कि निवारक निरोध भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (5) और दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, उच्च न्यायालय ने 17.05.2019 दिनांकित निरोध आदेशों को रद्द कर दिया। जैसा कि पहले बताया गया है, उच्च न्यायालय ने, हालांकि, अपने स्वयं के फैसले के संचालन पर एक सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी है जिसे हमने बढ़ा दिया है।

जिन्हें 21.05.2019 और 22.05.2019 पर बंदियों पर रखा गया था यह क्रमशः कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) में निर्धारित समय अवधि के भीतर है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय इस आधार पर निरोध आदेशों को रद्द करने में सही नहीं था कि निर्भर दस्तावेजों को निरोध आदेशों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं दिया गया था और दिशानिर्देश संख्या 21 का उल्लंघन किया गया था।

(क्या करें का भाग ए) और दिशानिर्देश संख्या 9 (क्या न करें का भाग बी) जो केवल अधिकारियों के लिए एक दिशानिर्देश है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने आगे प्रस्तुत किया कि "निर्देशों के संकलन पर हैंड बुक

जुलाई 2001 से फरवरी 2007 तक के कॉफेपोसा मामले केवल भारत और ए. एन. आर. के संघ में हैं।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. मामलों से निपटने में विभाग के अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति और उक्त दिशानिर्देश स्वयं निर्देश देते हैं कि निरोध आदेशों, निरोध के आधारों के संचार/सेवा में ध्यान रखा जाए और दस्तावेजों और सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम में निर्धारित सेवा की वैधानिक अवधि पर भरोसा किया जाए। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

जनरल ने आगे प्रस्तुत किया कि हिरासत प्राधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, हिरासत प्राधिकरण ने खुद को संतुष्ट किया

बंदियों के जमानत पर रिहा होने की संभावना और इस तरह, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निरोध आदेशों को रद्द करने में गलती की कि निरोध आदेशों में "ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि अदालत द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने की वास्तविक संभावना थी"। सीखा अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि वर्तमान मामले में पिछले तीन वर्षों में व्यवस्थित रूप से देश में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की गई है और जुलाई 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान 3300 किलोग्राम से अधिक सोना लाया गया है और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने यह विचार करने के बाद कि हिरासत में लिए गए लोगों में अपराध में लिप्त होने की प्रवृत्ति है, हिरासत आदेश पारित किए और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की इस तरह की व्यक्तिपरक संतुष्टि में अदालत द्वारा हल्के में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

10. बंदियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कई फैसलों पर भरोसा किया और तर्क दिया कि हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना चाहिए और तत्काल मामले में, दस्तावेजों और आधारों पर भरोसा करना बंदियों को प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित करता है। हिरासत के आधारों के माध्यम से हमें लेते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने केवल हिरासत में लिए गए लोगों की हिरासत और उन्हें बर्खास्त करने के बारे में अपनी जागरूकता दर्ज की है।

जमानत आवेदन और बंदियों को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना के बारे में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि काफी अनुपस्थित है और इस तरह की संतुष्टि का अभाव निरोध आदेशों को दूषित करता है। कमरुन्निसा और अन्य निर्णयों पर निर्भरता रखी गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए यह संभव नहीं था

प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का वर्णन करने वाले 2364 पृष्ठों के दस्तावेजों के अवलोकन के बाद एक दिन में सभी पंद्रह निरोध आदेश पारित करना जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग का गैर-अनुप्रयोग। रेखा बनाम पर निर्भरता रखना। तमिलनाडु राज्य सरकार के सचिव और एक अन्य (2011) 5 एस. सी. सी. 244 के माध्यम से, यह प्रस्तुत किया गया था कि निवारक निरोध आदेशों के मामलों में, प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं सुरक्षा उपाय हैं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का गैर-अनुपालन निरोध आदेशों को दूषित करता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने सही [2019] 8 एस. सी. आर. दिया है।

निरोध आदेशों को रद्द कर दिया कि निरोध आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन है और निर्देशों के संकलन पर "हैंड बुक" के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन है।

सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. के मामले हैं और विवादित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

11. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और विवादित आदेश और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों का अध्ययन किया है। हमने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों को भी सावधानीपूर्वक देखा है। द. इन अपीलों में विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैंः

(i) क्या निरोध के आदेशों को इस आधार पर दूषित किया गया था कि दस्तावेजों पर निर्भर रहने पर निरोध के आदेशों और निरोध के आधारों के साथ कार्य नहीं किया गया था? क्या अनुच्छेद के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन था

22 (5) भारत के संविधान और संविधान की धारा 3 (3)

कोफेपोसा अधिनियम?

((ख) क्या उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर निरोध आदेशों को रद्द करने में सही था कि निरोध प्राधिकारी ने बंदियों को जमानत पर रिहा किए जाने की आसन्न संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं किया है?

12. वर्तमान मामला 3300 किलोग्राम से अधिक सोने की भारी मात्रा में पीतल की धातु के साथ कथित तस्करी से संबंधित है।

स्क्रैप। हिरासत में लिए गए निसार अलियार को सिंडिकेट का मास्टरमाइंड और सरगना कहा जाता है, जिसने अन्य लोगों के साथ संयुक्त अरब अमीरात से भारत में सोने की तस्करी की थी। डिटेनु हैप्पी धाकड़ ने निसार अलियार और उसके समूह से तस्करी किए गए सोने को प्राप्त करके और उसके और उसके रिश्तेदारों द्वारा संचालित आभूषणों की दुकानों के माध्यम से उनका निपटान करके तस्करी को बढ़ावा दिया। प्रत्यर्थियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और उनके बयान सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 के तहत दर्ज किए गए थे। नजरबंदी के आदेश 17.05.2019 पर जारी किए गए थे। नजरबंदी के आधार के साथ नज़रबंदी के आदेश 18.05.2019 पर नज़रबंदियों को दिए गए थे। चूंकि दस्तावेज़ 2364 पृष्ठों में चल रहे थे और विभिन्न बंदियों के खिलाफ पंद्रह निरोध आदेश पारित किए गए थे, इसलिए दस्तावेजों का संकलन क्रमशः 21.05.2019 और 22.05.2019 पर बंदियों को दिया गया था। सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम की धारा 3 (3) में कहा गया है कि "बंदी को हिरासत में लेने के आदेश और आधार के बारे में उसे हिरासत में लेने के बाद जल्द से जल्द सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद नहीं।" अपीलार्थियों के अनुसार, वर्तमान मामले में, हिरासत के आदेश और आधार 18.05.2019 पर दिए गए थे। हालाँकि, चूंकि दस्तावेज़ भारत संघ और ए. एन. आर. थे।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

लगभग 2364 पृष्ठों पर चलने वाले बड़े पैमाने पर, इसे क्रमशः 21.05.2019 और 22.05.2019 पर हिरासत में लिए गए लोगों को दिया गया था, जो निश्चित रूप से, अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर था।

13. दिनांकित 17.05.2019 निरोध आदेशों में, हालांकि यह था

स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा सूची में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे हिरासत के आदेशों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को दिए जाते हैं, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें 20.05.2019 और 22.05.2019 के बीच हिरासत में लिए गए लोगों को दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने 17.05.2019 दिनांकित निरोध आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 18.05.2019 पर, निरोध आदेश और निरोध के आधार हिरासत में लिए गए लोगों को दिए गए थे; लेकिन दस्तावेजों और अन्य सामग्री विवरणों पर भरोसा किया गया था जो हिरासत के आधार के साथ हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं दिए गए थे। निरोध आदेश के प्रासंगिक हिस्से को निकालने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह कहा गया था कि दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था निरोध आदेशों के साथ-साथ निरोधकों को सेवा प्रदान की गई थी, वास्तव में उन्हें निरोध आदेशों और निरोध के आधारों के साथ हिरासत में नहीं रखा गया था और जबकि इसलिए, अपीलकर्ताओं को कोफेपोसा अधिनियम, 1974 की धारा 3 (3) का सहारा नहीं लेना पड़ सकता है। निरोध आदेश के प्रासंगिक भाग में जहां निरोध प्राधिकारी ने कहा है कि निर्भर दस्तावेजों को निरोध के आधार के साथ बंदियों को दिया जा रहा है, वह इस प्रकार हैः

" 9. विदेशी मुद्रा संरक्षण और विनिमय की रोकथाम के प्रावधानों के तहत निरोध आदेश पारित करते समय तस्करी
गतिविधि अधिनियम, 1974, मैंने संलग्न सूची में उल्लिखित दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जो आपको भी दिए जा रहे हैं

नजरबंदी के आधार के साथ।

इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए आपको अपना प्रतिनिधित्व इसके माध्यम से भेजना चाहिए। जेल अधिकारी जहाँ
आपको हिरासत में लिया गया है, संकेतित तरीके से

नीचे। "[रेखांकित किया गया]

14. "सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. मामलों को संभालने में क्या करें और क्या न करें" के दिशानिर्देश No.21 में निर्धारित किया गया है कि निरोध के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा करना अनिवार्य रूप से निरोध पर एक साथ दिया जाना चाहिए। (बंदी द्वारा ज्ञात और समझी गई भाषा में अनुवादित प्रतियों को शामिल करते हुए, जहां भी आवश्यक हो) और इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन तारीख [2019] 8 एस. सी. आर. से पांच दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर।

उसकी गिरफ्तारी से। भाग-बी में "कोफेपोसा मामलों को संभालने में क्या करें और क्या न करें" से संबंधित दिशानिर्देश संख्या 9 में कहा गया है कि निरोध के आधार और दस्तावेजों पर निर्भर रहना अलग-अलग तिथियों पर नहीं दिया जाना चाहिए। निरोध के आधारों की तामील न करने और निरोध आदेशों के साथ दस्तावेजों पर भरोसा करने के आधार पर इसे रद्द करने के लिए, उच्च न्यायालय ने माना कि "क्या करें और क्या न करें" से निपटने के लिए भाग-ए में दिशानिर्देश का उल्लंघन किया गया था।

सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. मायने रखता है और भाग-बी में दिशानिर्देश संख्या 9 "सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. मामलों को संभालने में क्या करें और क्या न करें" से संबंधित है।

"कोफेपोसा मामलों को संभालने में क्या करें और क्या न करें" से संबंधित दिशानिर्देश No.21 और दिशानिर्देश संख्या 9 को नीचे पढ़ा गया हैः

" कोफेपोसा मामलों को संभालने में क्या करें और क्या न करें

ए.

क्या करें।

21. निरोध के आधार और निर्भर दस्तावेजों को हमेशा बंदी को एक साथ दिया जाना चाहिए (जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा जानी और समझी गई भाषा में अनुवादित प्रतियां भी शामिल हैं, जहां भी आवश्यक हो) और इन्हें जितनी जल्दी हो सके, लेकिन उनकी नजरबंदी की तारीख से पांच दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

बी.

न करें।

9. निरोध के आधार और दस्तावेजों पर निर्भर होना चाहिए

अलग-अलग तारीखों पर नहीं दिया जाएगा।

15. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की सामग्री

यह है कि हालांकि बंदियों को दिए गए निरोध आदेशों में कहा गया है कि सूची में उल्लिखित दस्तावेजों पर भरोसा करने वालों को भी हिरासत के आधार के साथ-साथ हिरासत में लिए गए लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन निर्भर दस्तावेजों को वास्तव में हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं दिया गया था और इस तरह से हिरासत प्राधिकरण का ध्यान न रखना हिरासत के आदेशों को दूषित करता है, इसके अलावा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से वंचित करता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि क्या करें और क्या न करें वाले दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है और प्रतिवादियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि भारत और ए. एन. आर. का उच्च संघ।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

न्यायालय ने आपराधिक रिट याचिका Nos.2/1996,4/1996,824/1995 और 690/1996 में समन्वित पीठों के अपने स्वयं के निर्णयों पर भरोसा किया और उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें <ID2 पर निरोध के आदेश और निरोध के आधार के साथ पूरा नहीं किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) का सहारा लेने का कोई सवाल ही नहीं है।

16. उनके इस तर्क के समर्थन में कि निरोध के आदेश उत्तरदायी हैं

प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर रद्द करने के लिए कि निरोध आदेशों के आधार पर दस्तावेज और सामग्री प्रदान नहीं की गई थी, विरेंद्र सिंह बनाम पर भरोसा रखा। महाराष्ट्र राज्य (1981) 4 एस. सी. सी. 562 और एना कैरलिना डिसूजा (श्रीमती) बनाम। भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1620 और कई अन्य निर्णय। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने कमलेश कुमार ईश्वरदास पटेल बनाम पर उचित रूप से भरोसा किया। भारत संघ और अन्य

(1995) 4 एस. सी. सी. 51 जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, विशेष रूप से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, आरोपों की गंभीरता प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकती है और लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, विशेष रूप से, व्यक्तिगत अधिकार।

स्वतंत्रता, कुछ न्यूनतम प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को "अदालत द्वारा उत्साहपूर्वक देखा और लागू किया जाना" आवश्यक है।

17. विरेन्द्र सिंह में निरोध का आदेश पारित किया गया था।

09.10.1980 और हिरासत के आधार और अन्य दस्तावेजों और सामग्रियों की आपूर्ति हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 01.11.1980 पर की गई थी जब उसे गिरफ्तार किया गया था; लेकिन दस्तावेजों और सामग्रियों के बिना जो बाद में 05.11.1980 पर दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निरोध आदेश को रद्द कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 1. ..... मान लीजिए, हिरासत का आदेश 9 अक्टूबर, 1980 को पारित किया गया था और 1 नवंबर, 1980 को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आधार प्रदान किए गए थे, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन दस्तावेजों और सामग्रियों के बिना जो 5 नवंबर, 1980 को प्रदान किए गए थे। बंदी ने 13 नवंबर, 1980 को एक अभ्यावेदन दिया जिसका 13 दिसंबर, 1980 को निपटारा कर दिया गया। इस मामले में चूंकि निरोध के आदेश का आधार बनाने वाले दस्तावेज और सामग्री को निरोध के आदेश के साथ प्रदान नहीं किया गया था, जब
जैसा कि उस पर लागू किया गया था, आदेश को अमान्य कर दिया गया है जैसा कि इस न्यायालय ने इच्छू देवी चोरारिया बनाम में कहा था। भारत संघ (1980) 4 [2019] 8 एस. सी. आर.

एस. सी. सी. 531 और शालिनी सोनी बनाम। भारत संघ (1980) 4 एस. सी. सी. 544। इसके अलावा, निरोध का आदेश एक और दुर्बलता से ग्रस्त है, अर्थात्, निरोध द्वारा किए गए अभ्यावेदन का निपटान निरोध प्राधिकारी द्वारा उसे अभ्यावेदन भेजे जाने के एक महीने से अधिक समय बाद किया गया था। इस देरी के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो अनुच्छेद 22 (5) के तहत निहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है और बंदी की निरंतर नजरबंदी को अमान्य बनाता है। इन कारणों से, हम इस याचिका की अनुमति देते हैं और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हैं।

उपरोक्त को पढ़कर क्योंकि निरोध के आदेश और गिरफ्तारी के बीच एक लंबा अंतराल था और इसमें अत्यधिक देरी भी हुई थी। प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निपटारे के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निरोध आदेश को रद्द कर दिया।

18. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील यानी एना कैरेलिना डिसूजा द्वारा किए गए एक अन्य निर्णय में तथ्य स्पष्ट नहीं हैं। द. निरोध आदेश को मुख्य रूप से हिरासत के आधार के साथ-साथ भरोसेमंद दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के आधार पर रद्द कर दिया गया था। यह ज्ञात नहीं है कि पाँच दिनों की वैधानिक समय सीमा का पालन किया गया था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल निरोध के आधारों की सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन में नहीं है, जब तक कि आधार उन दस्तावेजों के साथ न हों जिन्हें निर्दिष्ट किया गया है और जिन्हें निरोध के आधार पर भरोसा किया गया है। प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए निर्णयों में, उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में निरोध आदेश को रद्द कर दिया गया था। (i) यह कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें पांच दिनों के वैधानिक अधिदेश से परे सेवा प्रदान की गई थी; और (ii) प्रतिनिधित्व के निपटान में अत्यधिक देरी हुई थी। संबंधित मामलों के तथ्यात्मक संदर्भ में उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं।

19. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए.) की धारा 3 (3) में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश और 'जितनी जल्दी हो सके' उसे हिरासत में लेने के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद और असाधारण मामलों में और हिरासत की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए। कोफेपोसा अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उप धारा (3) निम्नानुसार हैः

" 3. कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति।

(1) + (2) ....

उन आधारों के निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संचार, जिनके आधार पर आदेश दिया गया है, निरोध के बाद जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा, लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद नहीं, और असाधारण परिस्थितियों में और पंद्रह दिनों के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए। नजरबंदी की तारीख "। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) में हिरासत के आधारों को पूरा करने के लिए पांच दिनों की वैधानिक अवधि निर्धारित की गई है।

परिस्थितियों और कारणों को अभिरक्षा की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) इस प्रकार कम से कम हिरासत के आधारों और हिरासत में लिए गए लोगों को दिए जाने वाले आधारों पर निर्भर दस्तावेजों के लिए पांच दिनों की छूट प्रदान करती है। "जितनी जल्दी हो सके" शब्द द्वारा, क़ानून सामान्य परिस्थितियों में पाँच दिनों को एक उचित समय मानता है ताकि इन आधारों को व्यक्त किया जा सके -

बंदियों को हिरासत में लेना। की ओर से कोई वैधानिक दायित्व नहीं है

निरोध के आदेश की सेवा के उसी दिन आश्रित दस्तावेजों को देने के लिए निरोध प्राधिकारी। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) में निर्धारित समय और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में उपयोग की गई भाषा को ध्यान में रखते हुए "जल्द से जल्द अवसर", निरोध आदेश के साथ दस्तावेजों की प्रतियों को न देना निरोध आदेश को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।

20. सोफिया गुलाम मोहम्मद के मामले में। भाम वी। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1999) 6 एस. सी. सी. 593, उच्चतम न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "जितनी जल्दी हो सके शब्दों का उपयोग". "निरोध के आधार प्रदान करने में निरोध प्राधिकारी की ओर से एक सकारात्मक कार्रवाई का संकेत देता है और उन आधारों को प्रदान करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए जिन पर निरोध का आदेश आधारित था"। इसी तरह, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 22 (5) में "शर्तों का उपयोग". "जल्द से जल्द अवसर". भी वही दर्शन रखता है कि निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पर्याप्त अवसर देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इच्छू देवी चोरारिया में वी. भारत संघ और अन्य (1980) 4 एस. सी. सी. 531, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अनुच्छेद 22 का खंड (5) और [2019] 8 एस. सी. आर. की धारा 3 की उप-धारा (3)।

कोफेपोसा अधिनियम में प्रावधान है कि हिरासत के आधार को पांच या पंद्रह दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, सूचित किया जाना चाहिए।

हो "। "जितनी जल्दी हो सके" वाक्यांश को "लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद नहीं" वाक्यांश से अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। [जसबीर सिंह बनाम। उपराज्यपाल, दिल्ली और एक अन्य (1999) 4 एस. सी. सी. 228]। कोफेपोसा अधिनियम, 1974 की धारा 3 (3) के साथ पठित अनुच्छेद 22 के खंड (5) के उचित निर्माण पर, यह आवश्यक है कि दस्तावेज और अन्य

निरोध के आधार पर निर्भर सामग्री को निरोध के आधार के साथ या किसी भी स्थिति में पांच दिनों के बाद और असाधारण परिस्थितियों में और निरोध की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. वर्तमान मामले में, निरोध के आदेश और निरोध के आधार 18.05.2019 पर बंदियों को दिए गए थे। द ट्रस्टेड

दस्तावेज़ों पर उन्हें 20.05.2019 और के बीच दिया गया था 22.05.2019 अर्थात् निरोध आदेश की तामील की तारीख से पाँच दिनों के भीतर अर्थात 18.05.2019। जैसा कि पहले बताया गया है, कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) में हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए पांच दिनों की वैधानिक अवधि का प्रावधान है। यह बताया गया कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था वे 2364 पृष्ठों में चल रहे थे और विभिन्न बंदियों के खिलाफ पंद्रह निरोध आदेश पारित किए गए थे और इसलिए,

दस्तावेजों का संकलन 21.05.2019 पर बंदियों को दिया गया था। जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने ठीक ही तर्क दिया, भारी मात्रा में दस्तावेजों की प्रतियां तैयार करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी और बंदियों को दस्तावेजों का संकलन करने में समय लगता था और इसलिए, आदेश अवैध नहीं होंगे। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) पाँच दिनों के भीतर दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आदेश देती है।

मान लीजिए, प्रतियां उक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई हैं। इसलिए वैधानिक आवश्यकता का पालन किया गया है। 22. निरोध के आधार को पूरा करने और दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए निरोध प्राधिकरण की ओर से कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।

उसी दिन; अधिक तो, जब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि

हिरासत में लेने वाला अधिकारी निष्क्रियता या लापरवाही का दोषी था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेहदी मोहम्मद जौदी बनाम में निर्धारित सिद्धांत। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1981) 2 एस. सी. सी. 358 की गैर-आपूर्ति निरोध आदेश को दूषित करने वाले दस्तावेजों और सामग्री को कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। निरोध आदेश की तामील, निरोध के आधार और दस्तावेजों की आपूर्ति समकालीन होनी चाहिए जैसा कि भारत और ए. एन. आर. की समय सीमा के भीतर अनिवार्य है।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत निर्धारित पांच दिनों के लिए।

23. जसबिर सिंह बनाम। उपराज्यपाल, दिल्ली और एक अन्य (1999) 4 एस. सी. सी. 228, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पाँच दिनों की अवधि की गणना करने के लिए, जिस तारीख को निरोध आदेश दिया गया था, उसे बाहर रखा जाना चाहिए। हाथ में मामले में, इसलिए पाँच दिनों की अवधि की गणना के लिए, तिथि 18.05.2019 को बाहर रखा जाना चाहिए। 20.05.2019 से हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है। आई. डी. 1 तक जो पाँच दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर है और सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) का कोई उल्लंघन नहीं है।

24. वर्तमान मामले में, हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा करने के बाद पांच दिनों के भीतर हिरासत में लिए गए लोगों को दिया गया था।

18.05.2019 – निरोध आदेश की तिथि अर्थात 21.05.2019 और 22.05.2019 पर। पारि पासु शब्द को कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (3) के वैधानिक प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसका अर्थ होगा कि निरोध के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा पांच दिनों के भीतर और स्पष्टीकरण के साथ पंद्रह दिनों के भीतर दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किया जाता है। जब इस तरह के नियम को दूषित किया जाता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उन्हें एक साथ नहीं रखा गया था। उच्च न्यायालय ने रद्द करने में गलती की

निरोध के आदेश इस आधार पर दिए जाते हैं कि दस्तावेजों और सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी।

25. निर्देशों के संकलन पर हस्तपुस्तिका

जुलाई 2001 से फरवरी 2007 तक के कोफेपोसा मामलों में कोफेपोसा मामलों से संबंधित क्या करें और क्या न करें के निर्देश शामिल हैं। दिशानिर्देश No.21 (कोफेपोसा मामलों को संभालने में क्या करें और क्या न करें का भाग ए) और दिशानिर्देश संख्या 9 (कोफेपोसा मामलों को संभालने में क्या न करें और क्या न करें का भाग बी) का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है जो निरोध आदेशों को दूषित कर देगा।

26. निर्देशों के संकलन पर हस्तपुस्तिका

कोफेपोसा मामले "केवल कोफेपोसा मामलों से निपटने में विभाग के अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं। ने कहा कि

दिशानिर्देशों में निर्देश दिया गया है कि "निरोध आदेश के संचार/सेवा में ध्यान रखा जाना चाहिए" और निरोध के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन निरोध आदेश की तारीख से पांच दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर। उक्त दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया। इसके अलावा, यह एक सर्वसम्मत सिद्धांत है कि कोई भी कार्यकारी [2019] 8 एस. सी. आर.

दिशानिर्देश जैसे निर्देश किसी भी क़ानून के प्रावधानों को कम नहीं कर सकते हैं या कानून के किसी भी प्रावधान को कम नहीं कर सकते हैं। 27. उच्च न्यायालय ने हिरासत के आदेशों को एक और आधार पर रद्द कर दिया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को हिरासत के आधार दर्ज करने होते हैं

इस संतुष्टि के साथ कारणों का संकेत देते हुए कि हिरासत से बंदी की रिहाई की आसन्न संभावना है और रिहाई के बाद, ऐसे व्यक्ति के पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहने की संभावना है और

निरोध आदेश कहीं भी स्पष्ट रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई की आसन्न संभावना के रूप में हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि का उल्लेख नहीं करते हैं। जमानत पर और पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रखें। उच्च न्यायालय ने कहा कि कामरुन्निसा में निर्धारित परीक्षण संतुष्ट नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि सोने की तस्करी में नजरबंद निसार अलियार द्वारा निभाई गई भूमिका या तस्करी की अवैध गतिविधियों में निसार अलियार को सहायता और बढ़ावा देने में एक अन्य नजरबंद डिंपल हैप्पी धाकड़ की भूमिका संतोष दर्ज करने की आवश्यकता के साथ निपटती नहीं है कि हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत पर रिहा किए जाने की कोई आसन्न संभावना नहीं है।

28. निरोध के आधारों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि निरोध

प्राधिकरण ने बंदियों की हिरासत और उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज करने के बारे में अपनी जागरूकता दर्ज की है। यह प्रस्तुत किया गया था कि हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत पर रिहा किए जाने की आसन्न संभावना के बारे में हिरासत प्राधिकरण की संतुष्टि काफी अनुपस्थित है जो हिरासत के आदेशों को दूषित करती है। कामरुन्निसा पर निर्भरता रखते हुए, यह था प्रस्तुत किया कि जब निरोध आदेश हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना के बारे में हिरासत प्राधिकरण की संतुष्टि को दर्ज नहीं करते हैं और यदि इस तरह से रिहा किया जाता है, तो उनकी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना है; और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना के बारे में निष्कर्ष का अभाव निरोध आदेश को दूषित कर देगा और उच्च न्यायालय ने हिरासत आदेशों को सही ढंग से रद्द कर दिया। निर्णयों की संख्या पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि निवारक निरोध आदेश केवल जमानत पर विस्तार को पूर्व-खाली करने या दरकिनार करने के लिए पारित नहीं किया जाना चाहिए।

29. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने प्रस्तुत किया है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को पता था कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति पहले से ही 20.05.2019 तक हिरासत में था जो हिरासत के आधार पर स्पष्ट रूप से दर्ज है। हमें हिरासत के आधारों के माध्यम से ले जाते हुए, विद्वान अतिरिक्त

सॉलिसिटर-जनरल ने आग्रह किया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण ने संक्षेप में भारत और ए. एन. आर. का संघ लाया है।

अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया गया। उनके तर्क के समर्थन में, विद्वान ए. एस. जी. ने विजय कुमार बनाम पर भरोसा रखा। भारत संघ और अन्य (1988) 2 एस. सी. सी. 57 और अन्य निर्णय। 30. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि हिरासत में किसी व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश वैध रूप से पारित किया जा सकता है और उस उद्देश्य के लिए, यह आवश्यक है कि हिरासत के आधारों से यह पता चले कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत था कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति पहले से ही हिरासत में था। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को और संतुष्ट होना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत से रिहा किए जाने की संभावना है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियों की प्रकृति से संकेत मिलता है कि यदि उसे रिहा किया जाता है, तो वह इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना रखता है और इसलिए, उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है।

31. सभी निर्णयों की समीक्षा करने के बाद, इस मुद्दे पर कानून को कमरुन्निसा बनाम में स्पष्ट किया गया था। भारत संघ और एक अन्य (1991) 1

एस. सी. सी. 128 जहाँ उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 13. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार से हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के मामले में भी निरोध आदेश वैध रूप से पारित किया जा सकता है (1) यदि आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत है कि वह वास्तव में अभिरक्षा में है; (2) यदि उसके पास पहले रखी गई विश्वसनीय सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण है। (क) उसके जमानत पर रिहा होने की वास्तविक संभावना है, और (ख) इस तरह से रिहा होने पर वह पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि में लिप्त होने की पूरी संभावना है और (3) यदि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक महसूस किया जाता है। यदि प्राधिकरण इस ओर से अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद कोई आदेश पारित करता है, तो इस तरह के आदेश को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि प्राधिकरण के लिए उचित मार्ग जमानत का विरोध करना था और यदि ऐसे विरोध के बावजूद जमानत दी जाती है, तो उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल करना। इस न्यायालय ने रमेश यादव (1985) 4 एस. सी. सी. 232 के मामले में जो कहा था, वह यह था कि आम तौर पर एक निरोध आदेश केवल उन मामलों में जमानत पर विस्तार को पूर्व खाली करने या दरकिनार करने के लिए पारित नहीं किया जाना चाहिए जो अनिवार्य रूप से आपराधिक प्रकृति के हैं और जिन मामलों से निपटा जा सकता है।

सामान्य कानून। हमें ऐसा लगता है कि यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि ऐसे मामले में भी जहां [2019] 8 एस. सी. आर.

एक व्यक्ति हिरासत में है, यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इसलिए मांग करें, निवारक निरोध के कानून का पालन करना पड़ सकता है।

99

32. इसी सिद्धांत को भारत संघ बनाम में दोहराया गया था। पॉल सीकैम और एक अन्य (2003) 8 एस. सी. सी. 342 जहाँ सर्वोच्च न्यायालय

निम्नानुसारः

" 14. ..... जहाँ निरोध के आदेश पारित किए जाते हैं -

जो व्यक्ति पहले से ही कुछ अन्य कानूनों के तहत जेल में हैं, हिरासत में लिए गए अधिकारियों को अपना दिमाग लगाना चाहिए और हिरासत के आधार पर, रिहाई की संभावनाओं के बारे में अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए।

ऐसे व्यक्ति जमानत पर हैं। निवारक निरोध कानूनों के तहत ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में रखने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। बंदी की हिरासत में रहना ही उसकी निवारक हिरासत के आदेश को अमान्य नहीं करता है, और इस संबंध में निर्णय विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। निरोधात्मक निरोध राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए आवश्यक है या

सार्वजनिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिरता आदि को बनाए रखने के लिए, आमतौर पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है जब बंदी पहले से ही हिरासत में हो। गिरफ्तारी

प्राधिकरण को बंदी की हिरासत में रहने के तथ्य के प्रति अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए और आदेश देते समय उस कारक को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस बात से यथोचित रूप से संतुष्ट है कि उसकी रिहाई की संभावना है और उसकी पूर्ववर्ती गतिविधियों को देखते हुए, जो समय के निकट हैं, उसे इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए, तो हिरासत आदेश वैध रूप से किया जा सकता है। जहां पहले से ही हिरासत में किसी व्यक्ति के संबंध में निरोध आदेश से यह संकेत नहीं मिलता है कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना थी, तो आदेश को दूषित कर दिया जाएगा। (एन. मीरा रानी बनाम देखें। सरकार. टी. एन. (1989) 4 एस. सी. सी. 418 और धर्मेंद्र सुगनचंद चेलावत बनाम। संघ का

भारत (1990) 1 एस. सी. सी. 746) कामरुन्निसा बनाम में इस बिंदु को विस्तार से बताया गया था। भारत संघ (1991) 1 एस. सी. सी. 128। .....

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

33. क्या जेल में किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है जैसा कि इस अदालत के समक्ष फिर से विचार के लिए विषय था। हुइड्रोम कोनुंगजाओ सिंह बनाम। मणिपुर राज्य और आर. एस. (2012) 7 एस. सी. सी. 181, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के भारत संघ और ए. एन. आर. का उल्लेख किया।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

धर्मेंद्र सुगनचंद चेलावत बनाम सहित निर्णय। भारत संघ (1990) 1 एस. सी. सी. 746 और दोहराया कि यदि बंदी प्राधिकारी संतुष्ट है कि बंदी की पूर्व गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह संभावना है कि उसकी हिरासत से रिहाई के बाद वह पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होगा और उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेना आवश्यक है।

34. वीरमणि वी. टी. एन. राज्य (1994) 2 एस. सी. सी. 337 पैरा (6) में,

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 6. इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के मामले में भी निरोध आदेश वैध रूप से पारित किया जा सकता है यदि आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी इस तथ्य से अवगत है कि वह वास्तव में अभिरक्षा में है; यदि उसके पास विश्वसनीय सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि उसके जमानत पर रिहा होने की संभावना है और इस तरह रिहा होने पर, बंदी सभी संभावनाओं में पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होगा और यदि प्राधिकरण उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद कोई आदेश पारित करता है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

35. अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में, हमें यह देखना होगा कि वर्तमान मामले में, क्या नजरबंदी के बारे में मन में जागरूकता थी

यह अधिकार कि बंदी हिरासत में है और उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है और यदि ऐसा किया जाता है, तो वह पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहेगा। वर्तमान मामले में, दिनांकित 17.05.2019 निरोध आदेश निरोध प्राधिकारी की जागरूकता को दर्ज करते हैंः - ((i)

कि बंदी हिरासत में है; (ii) कि बंदियों द्वारा दायर जमानत आवेदन को अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है। बेशक, हिरासत के आदेशों में, हिरासत प्राधिकरण ने विशेष रूप से दर्ज नहीं किया है कि "हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा किए जाने की संभावना है"। यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने केवल इस आधार पर अपना दिमाग नहीं लगाया है कि हिरासत के आदेशों में, "हिरासत में लिए गए व्यक्ति के जमानत पर रिहा होने की संभावना" के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है और "यदि ऐसा किया जाता है, तो वह उसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना है"। लेकिन हिरासत में लिए गए प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की पृष्ठभूमि और अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि हिरासत में लिए गए हैप्पी धाकड़ और निसार अलियार में भविष्य में इस तरह के अपराध करने की उच्च प्रवृत्ति है।

36. हिरासत में लिए गए प्राधिकारी का संतोष है कि बंदी पहले से ही हिरासत में है और उसके जमानत पर रिहा होने की संभावना है और रिहा होने पर, वह उसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त होने की संभावना है [2019] 8 एस. सी. आर.

निरोधक प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि। सेंथमिलसेल्वी बनाम। टी. एन. राज्य और एक अन्य (2006) 5 एस. सी. सी. 676, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि कि बंदी को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है, सामग्री और सामान्य रूप से व्यक्तिपरक के आधार पर "व्यक्तिपरक संतुष्टि" है।

संतुष्टि में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

37. हिरासत में लिए गए प्राधिकारी का यह संतोष कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, हिरासत में लिए गए प्राधिकारी का अप्रत्यक्ष आदेश नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, हिरासत में लिए गए प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है, सामग्री पर आधारित है। हिरासत के आधारों को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि बंदी निसार अलियार सोने की तस्करी में लिप्त रहा है। और दूसरों के साथ समन्वय में सिंडिकेट का संचालन करना और आदतन राजस्व हानि और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की परवाह किए बिना ऐसा करना। इसी तरह, बंदी हैप्पी धाकड़ का निरोध आदेश सोने को प्राप्त करने और अपनी कई आभूषण दुकानों और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से विदेशी मूल के तस्करी किए गए सोने के निपटान में उसके द्वारा निभाई गई भूमिका को संदर्भित करता है। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर निरोध आदेशों को रद्द करने में गलती की कि निरोध प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि बंदियों को जमानत पर रिहा किए जाने की वास्तविक संभावना थी जो कमरुन्निसा और अन्य निर्णयों और दिशानिर्देशों में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन आधारों पर हिरासत के आदेशों को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

38. (क्या करें के भाग ए) के दिशानिर्देश No.24 में कहा गया है कि जब बंदी न्यायिक हिरासत में था, तो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को दर्ज करना होगा

निरोध के आधार उसकी जागरूकता और फिर इस संतुष्टि के कारणों को इंगित करते हैं कि अभिरक्षा से उसकी रिहाई की आसन्न संभावना है और रिहाई के बाद ऐसे व्यक्ति के जारी रहने की संभावना है

समान पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हों। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, निरोध आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर निरोध प्राधिकारी के दिमाग के अनुप्रयोग को दर्शाता है।

गतिविधियों की प्रकृति और ऐसी गतिविधियों में शामिल बंदियों की प्रवृत्ति।

39. जब हमने मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित कर लिया है, तो प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील-बंदी ने हमारा ध्यान हिरासत आदेश No.PD-12001/34/2019-COFEPOSA दिनांक 01.07.2019 भारत और ए. एन. आर. के संघ की ओर आकर्षित किया है।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

अशोक कुमार जालान (कोलकाता) के खिलाफ कोफेपोसा अधिनियम के तहत पारित किया गया और प्रस्तुत किया कि उक्त निरोध आदेश में, निरोध प्राधिकरण-संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना के बारे में संतोष दर्ज किया है और वर्तमान मामले में,

इस तरह की संतुष्टि की गैर-रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से मन के गैर-अनुप्रयोग को इंगित करती है। उक्त निरोध आदेश दिनांक 01.07.2019 की वर्तमान मामले से कोई प्रासंगिकता नहीं है। यह प्रत्यर्थी के इस तर्क को मजबूत नहीं करता है कि अधिकार को हिरासत में लेने के मन का उपयोग नहीं किया गया है, जिसे हमने ऊपर दर्ज किए गए कारणों से खारिज कर दिया है।

व्यक्तिगत

40. बंदियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन प्रमुख विचार है और चूंकि प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है

बंदियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए, उच्च न्यायालय ने हिरासत के आदेशों को सही ढंग से रद्द कर दिया और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हाथ में मामले में, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं

अनुपालन किया। जहाँ तक इस तर्क का सवाल है कि अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के पक्ष में झुकना चाहिए, हम इस बात से अवगत हैं कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत उत्साही हैं। लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों की भलाई के लिए उचित सीमाओं के भीतर अधीनस्थ। निरोध का आदेश स्पष्ट रूप से एक निवारक उपाय है और समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। जब निवारक निरोध का उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करना है, तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होगा।

41. यह देखते हुए कि निवारक निरोध का उद्देश्य नहीं है

नरेश कुमार गोयल बनाम में किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दंडित करें, लेकिन उसे रोकने और ऐसा करने से रोकने के लिए। भारत संघ और अन्य (2005) 8 एस. सी. सी. 276, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 8. यह सामान्य कानून है कि हिरासत का आदेश उपचारात्मक या उपचारात्मक नहीं है।

देश के कल्याण या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले तत्व राष्ट्र की या सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने से या

तस्करी गतिविधियों में शामिल होना या अवैध व्यापार में शामिल होना

निरोध समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अधिकारियों ने इस विषय पर लगातार यह विचार रखा है कि निवारक [2019] 8 एस. सी. आर.

निरोध समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से पहले रोकना और उसे ऐसा करने से रोकना है।

42. निवारक निरोध के दायरे को ध्यान में रखते हुए और टी को देखने का उद्देश्य समाज की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना है, राज्य में महाराष्ट्र और अन्य बनाम। भाऊराव पंजाबराव गवांडे (2008) सी 613, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता और आवश्यकता के बीच एक न्यायपूर्ण और नाजुक संतुलन बनाने की दृष्टि से निरोध एक ओर स्वतंत्रता और दूसरी ओर देश की सुरक्षा और समाज का हित। राज्य की सुरक्षा,

सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं का रखरखाव

समुदाय, तस्करी और कालाबाजारी गतिविधियों की रोकथाम,

आदि के व्यापक हितों में प्रभावी सुरक्षा उपायों की मांग

शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक जीवन शैली को बनाए रखना।

37. निवारक निरोध कानूनों पर विचार करने और उनकी व्याख्या करने में, अदालतों को नागरिक की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने में सबसे अधिक चिंता और एकांत दिखाना चाहिए, हालांकि, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भूले बिना जिसमें संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में ही निवारक निरोध के प्रावधानों को शामिल करने में एक दुखी आवश्यकता महसूस की गई थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता पर किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा करना अदालत का कर्तव्य है, साथ ही अधिकारियों के पास है

उनके अधीन निहित कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी

देश के कानून को बिना किसी औचित्य के बाधित या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए (ए. के. रॉय बनाम। भारत संघ (1982) 1 एस. सी. सी. 271, भूत नाथ मेटे बनाम। राज्य डब्ल्यू. बी. (1974) 1 एस. सी. सी. 645, राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। अशोक डे (1972) 1 एस. सी. सी. 199 और ए. डी. एम. बनाम। शिवकांत

शुक्ला (1976) 2 एस. सी. सी. 521 "। [रेखांकित करना जोड़ा गया]।

43. अदालत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की संतुष्टि "व्यक्तिपरक" प्रकृति की होती है और अदालत हिरासत में लिए गए अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए और हिरासत के आदेश के साथ इसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत और ए. एन. आर. का व्यक्तिपरक संघ।

वी. डिम्पल हैप्पी धाकड़ [आर. भानुमती, जे.]

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। विभिन्न निर्णयों द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे क्षेत्र बनाए हैं जिनके भीतर व्यक्तिपरक संतुष्टि की वैधता का परीक्षण किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, पिछले तीन वर्षों से देश में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की जा रही थी और जुलाई 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान लगभग 3396 किलोग्राम सोना पीतल के धातु के स्क्रैप के साथ भारत में लाया गया है। हिरासत में लिए गए प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। निरोध अधिकारी ने यह भी संतोष व्यक्त किया कि निरोधित लोगों में ऐसा करने की प्रवृत्ति है तस्करी का कार्य और निवारक निरोध का आदेश पारित किया, जो एक निवारक उपाय है। निरोधक प्राधिकारी के समक्ष रखे गए दस्तावेजों और सामग्रियों के आधार पर और निरोधकों की व्यक्तिगत भूमिका पर विचार करते हुए, निरोधक प्राधिकारी ने हिरासत में लिए गए लोगों की निरंतर प्रवृत्ति और देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से तस्करी के कृत्यों में शामिल होने के उनके झुकाव के बारे में खुद को संतुष्ट किया कि निरोधकों को तस्करी के सामान से रोकने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने हिरासत में लिए गए प्राधिकारी की संतुष्टि में हस्तक्षेप करने में गलती की और विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

44. परिणामस्वरूप, डब्ल्यू. पी. में उच्च न्यायालय का दिनांकित 25.06.2019 का विवादित निर्णय। (सीआरएल।) 2019 का Nos.2843 और 2844 रद्द कर रहा है

नजरबंदियों को हिरासत में रखने के आदेश। हैप्पी अरविंदकुमार धाकड़ और निसार पल्लाथुकादविल अलियार को दरकिनार कर दिया जाता है और भारत संघ द्वारा पसंद की गई अपीलों की अनुमति दी जाती है। नतीजतन, बंदियों द्वारा की गई अपील खारिज हो जाएगी।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान